उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 30-7-84 को 10=30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1984 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1- श्रीमती दीपा कौल		अध्यक्ष (सर्वसम्मति से नामित)
2- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
3- श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
4- श्री माता प्रसाद		सदस्य
5- श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या
6- श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री सोहन लाल शुक्ल	निदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो (अपर महा निदेशक के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्री
8- श्री श्याम पुरी	आवास आयुक्त	सदस्य

श्री निर्मल खत्री, अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से श्रीमती दीपा कौल, सदस्या को उक्त बैठक के लिये अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये :-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 25-5-84 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	चतुर्थ/(1)/84	परिषद की दिनांक 25-5-84 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 25-5-84 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या ।	चतुर्थ/(2)/84	परिषद द्वारा दिनांक 25-5-84 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन से सम्बंधित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :- 1- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बंध में बताया गया कि अभी हाल में अलीगढ़ में कुछ आवास गृहों को पुलिस कर्मियों ने खाली कर दिये हैं जिसके आवंटन की कार्यवाही चल रही है । निर्णय लिया गया कि अवशेष आवास गृहों के खाली कराने की कार्यवाही शीघ्र करायी जाय तथा मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में किये गये अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में किराये की धनराशि वसूल की जाय । 2- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम०ए०/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र करायी जाये ।

क्र०प०उ०

1	2	3	4
3-	बीस सूत्रीय कार्य-क्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार ।	चतुर्थ/(3)/84	बीस सूत्रीय कार्य-क्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :- 1- बैठक में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 84-85 में कुल 4,076.56 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया इसके विरुद्ध जून, 84 तक 200.75 एकड़ भूमि अर्जित की गयी यह भी बताया गया कि धारा 17/17 के अन्तर्गत कब्जा तो परिषद को मिल जाता है किन्तु एवार्ड बनाने तथा प्रतिकर वितरण करने में काफी समय लगता है । जिसके कारण कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास xx तथा निर्माण प्रारम्भ करने में भूस्वामी अवरोध उत्पन्न करते है । विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि का कब्जा परिषद को उपलब्ध कराने के साथ साथ अनुमानित प्रतिकर की स्वीकृति एवं 2/3 भाग प्रतिकर की धनराशि का वितरण तथा तदुपरान्त एवार्ड को बनाने और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास साथ साथ चलता रहे ताकि कब्जा प्राप्त भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य बिना अवरोध के प्रारम्भ हो सके और परिषद को ब्याज के रूप में अधिक धनराशि न देनी पड़े 2- बैठक में बताया गया कि वर्ष 1984-85 में परिषद द्वारा 768 एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध जून 84 तक 20 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 815 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये लक्ष्य की त्र त्रैमासिक चार्ट बना ली जाय तदनुसार इसका अनुश्रवण किया जाय । 3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 12,000 दुर्बल आय वर्ग/साइट एण्ड सर्विसेज xxxxx इकाईयां भी पूर्ण करने /प्रगति में रखने का लक्ष्य वर्ष 84-85 के लिये निर्धारित है। बैठक में बताया गया कि प्रथम त्रैमास में सीमेंट की कमी तथा गत वर्ष से ईंटों के उत्पादन द्वारा लम्बी अवधि तक हड़ताल पर रहने के कारण निर्माणाधीन भवनों की प्रगति अपेक्षानुसार नही हो पायी है । निर्णय लिया गया कि अगले त्रैमास में अधिकाधिक भवन पूर्ण करने का प्रयास किया जाय और जिन भवनों की नींव अभी नही पड़ पायी है उनकी नींव डालने का प्रयास किया जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लक्ष्य के अनरूप भवन बनेन प्रारम्भ हो जाये ताकि लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष के अन्त तक सुनिश्चित की जा सकें । 4- वर्ष 1977-78 से 1982-83 तक के बैलेन्सशीट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 84 तक उन्हें पूरा कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय बैठक में बताया गया कि यह .....

कृ०पृ०उ०

	3	4
		कार्य प्रगति पर है । निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्णयानुसार समय-समय पर इस कार्य की प्रगति का अनुश्रवण किया जाये और प्रत्येक दशा में दिसम्बर, 1984 तक 82-83 तक की बैलेन्सशीट अवश्य तैयार करा ली जाये ।
		5- लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी परिषद को दी रखी गयी। निर्णय लिया गया कि इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाय ताकि तैयार किये गये मैनुअल के आधार पर शीघ्र कार्य-वाही की जा सके ।
4- लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर ।	चतुर्थ/(4)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उप-रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
5- हरवंश वाला टी स्टेट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 कावली रोड देहरादून को परित्याग किया जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(5)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उप-रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
6- चन्द्र शेखर आजाद नगर योजना उन्नाव के द्वितीय चरण में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग टाइप डिजाइन 53/127 के 42 तथा अल्प आय वर्ग टाइप के डिजाइन 29/60 के 66 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(6)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
7- स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत रामपुर, गोरखपुर एवं हरिद्वार (द्वितीय चरण) नगरों में मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आयवर्ग के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(7)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उप-रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
8- 1-शिकोहाबाद योजना सं0-1 2- शिकोहाबाद योजना (विस्तार) 3- किच्छा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना किच्छा 4- सिविल लाइन्स योजना सं0-2 बदायूं के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव	चतुर्थ/(8)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
9- परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर आवंटित भवनों में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(9)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद के अधिकारियों/कर्म-चारियों को किराया पद्धति पर आवंटित भवनों में अतिरिक्त सुविधायें निम्नवत प्रदान की जायें ।- 2- दुर्बल आय वर्ग- किचन कोट फर्श, उसके ऊपर टीन की कुल कटे होर शटर, बाहर की बाउन्ड्री वाल तार द्वारा घेरी जाय पीछे का आंगन दीवार से घेरा जाये, विधुत, जल सीवरेज तथा एक ब्लॉक का प्राविधान किया जाये इन सभी कार्यों पर अधिकतम व्यय रु0 5000/- प्रति भवन तक ही किया जा सकता है,

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			2- अल्प आय वर्ग:- किचन प्लेटफार्म एवं उसके ऊपर शेल्फ, छोटे डोर शटर, बाहर की बाउन्ड्री तार की विधुत जल सीवरेज संयोजन तथा 2 पंखों का प्राविधान । इसके लिये अधिकतम रू०7000/= प्रति भवन के व्यय की सीमा निर्धारित की गयी । 3- मध्यम आय वर्ग:- बाउन्ड्री वाल गेट, विधुत जल एवं सीवरेज संयोजन, 3 पंखों का प्राविधान । इन कार्यों पर अधिकतम व्यय रू० 10,000/= प्रति भवन फिक्स किया जा सकता है । 4- उच्च आय वर्ग:- बाउन्ड्रीवाल, गेट, गैराज(जहां जगह उपलब्ध हो) शटर बरामदे में ग्रिल तथा 3 पंखे जल, विधुत एवं सीवरेज संयोजन का कार्य किन्तु अधिकतम व्यय रू० 20,000/= प्रति भवन से अधिक नहीं होना चाहिये । इसके लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवास आयुक्त स्वयं अपने स्तर से प्रदान कर दिया करेंगे और जब कभी ऐसे भवन किसी क्रेता को आवंटित किये जायेंगे तो व्यय की गयी धनराशि मूल्यांकन में सम्मिलित करते हुये क्रेता से वसूल की जायेगी ।
10-	हडको वित्त पोषित द्वितीय हडको एल०आई०जी०एण्ड एम०आई०जी० हाउसिंग स्कीम नं०-2 हापुड़(स्कीम नं०-3256)	चतुर्थ/(10)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
11-	प्रतापगढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं० -1, प्रतापगढ़ ।	चतुर्थ/(11)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
12-	कानपुर की परिषद द्वारा संचालित आवासीय योजना सं०-2 के लिये अर्जित भूमि का प्रतिकर के अतिरिक्त एक्सग्रेशिया के भुगतान के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ(12)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
13-	फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 में स्थित सघन आबादी क्षेत्र ।	चतुर्थ/(13)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
14-	बरेली योजना सं०-4 में 1/76 प्रकार के 6 म०आ० व० भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।	चतुर्थ/(14)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
15-	सिकन्दरा योजना-आगरा के निर्मित एवं निर्माण खण्ड के सृजन के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	चतुर्थ/(15)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
16-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति ।	चतुर्थ/(16)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
17-	मेरठ एवं लखनऊ शहरों में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु इण्डियन ओवरसीज बैंक लखनऊ से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(17)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
18-	1- तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी । 2- अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अमरोहा 3- मुंसिफ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, चन्दौसी 4- मैनपुरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मैनपुरी के विकास कार्यों के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	चतुर्थ/(18)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
19-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-1 से 6 तथा 15, 16, 17 एवं 18 तक की जल प्रति व्यवस्था की रखरखाव हेतु जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरण किये जाने के साथ-साथ 2 अल्प आय वर्ग भवन 10 दुर्बल आय वर्ग भवन एवं 5 दू0आ0वू0 भवनों हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(19)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
20-	फिरोज गांधी नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4, रायबरेली ।	चतुर्थ/(20)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि आपत्तिकर्ता क्रमांक-43 श्री त्रिलोचन सिंह सेंगा आदि की भूमि जो खसरा नं0-740 की है उसे भी अधिग्रहीत कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि जो निर्माण धारा-28 के बाद के हैं और जिनका विवरण नियोजन समिति व्दारा परिशिष्ट 'ब' पर दिया गया है उसे विकास शुल्क तथा कम्पाउंडिंग की लेकर लेआउट में समायोजित कर दिया जाये । यह xxxxxxxxxxxxxxxx समायोजन केवल वर्तमान समय में निर्मित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा । इसके अतिरिक्त जो भूमि खाली है उसे अर्जित कर लिया जाये ।
21-	परिषद मुख्यालय पर एक साइक्लो स्टाइल आपरेटर तथा एक मैकेनिक (टंकण मशीनों तथा डुप्लीकेटिंग मशीनों की मरम्मत हेतु) के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति ।	चतुर्थ/(21)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
22-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की ट्रांस यमुना योजना आगरा में समाविष्ट भूखण्ड खसरा सं०-4376(1)व(2) मौजा नराइच आगरा को अर्जन से मुक्त कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्राप्त श्री जस्सा राम व किशनदास का प्रार्थना-पत्र ।	चतुर्थ/(22)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 4376 मौजा नराइच जिसकी कुल क्षेत्रफल 51•27•51 वर्ग मीटर है में से वर्तमान निर्माण व आवासीय प्रयोजन के लिये केवल 832 वर्गमीटर भूमि श्री जस्सा राम के पक्ष में इस शर्त पर छोड़ दी जाये कि वह वर्तमान दरों पर परिषद को विकास व्यय देंगे । इनकी शेष भूमि को अर्जन से मुक्त न किया जाये ।
23-	आवास परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट अनुप नगर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के बदले 40% विकसित भूमि देने विषयक ।	चतुर्थ/(23)/84	परिषद द्वारा विचार के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित सहकारी समिति ने अर्जित भूमि का प्रतिकर/न लिया हो तो उन्हे विकास शुल्क लेकर 40% भूमि विकसित भूखण्ड के रूप में आवंटित कर दी जाये । यदि समिति ने प्रतिकर की धनराशि ले ली हो तो आवंटन वर्तमान समय में प्रचलित मूल्य पर किया जाये ।
24-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, पौड़ी ।	चतुर्थ/(24)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
25-	पौड़ी देव प्रयाग मोटर मार्ग योजना सं०-2, पौड़ी, गढ़वाल ।	चतुर्थ/(25)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
26-	पुराना श्रीनगर गृहस्थान योजना सं०-2, श्रीनगर(गढ़वाल)	चतुर्थ/(26)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
27-	भदलखाना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, श्रीनगर (गढ़वाल)	चतुर्थ/(27)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
28-	श्री आर०सी०सक्सेना, निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच के प्रसंग में ।	चतुर्थ/(28)/84	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
29-	परिषद मुख्यालय पर कार्यालय अधीक्षक का एक पद वेतनमान रू० 775-1360 की स्वीकृति के प्रसंग में ।	चतुर्थ/(29)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
30-	अलीगढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-9, अलीगढ़ के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	चतुर्थ/(30)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
31-	1- प्रतापगढ़ योजना सं०-2 में म०आ०व०के 30 भवन 2- काशीपुर योजना सं०-4 में म०आ०व०के 22 भवन 3- बजलनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 बरेली में द०आ०व० के 2 भवन साइट एण्ड सर्विसिज टाईप के भवन एवं अल्प आय वर्ग के 5 भवन 4-(अ)मेरठ योजना सं०-3 के द्वितीय चरण में 62 दुकानें व 3 स्टोर (ब)तृतीय चरण में 95 दुकानें एवं 12 कियोस्क	चतुर्थ/(31)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । कृ०प०उ०

5- सूरजकुण्ड योजना गोरखपुर में 10 अ०आ०व० के भवनों के निर्माण ।	चतुर्थ/(	
6- गंजाजीपुरम योजना के सै०-2 में अ०आ०व० के 32 भवनों का निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।		
32- विधि अनुभाग में सहायक श्रेणी -2 के स्वीकृत पद का नाम परिवर्तित करके विधि सहायक नाम रखे जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(32)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
33- अंगूरीबाग योजना फैजाबाद में तालिबादुरान कमेटी के वर्ष 1982 में स्वीकृत मूल लागत पर तीन दुर्बल आय वर्ग के भवनों का आवंटन ।	चतुर्थ/(33)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
34- नई आवासीय योजनाओं के संचालन हेतु धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव की परिषद के विचारार्थ/सूचनार्थ टिप्पणी ।	चतुर्थ/(34)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
35- अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु 2 वर्ष सहायक अभियन्ता के पद पर परिकल्पना/मुख्यालय में कार्य करने का प्रतिबन्ध ।	चतुर्थ/(35)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
36- परिषद में क्वालिटी कन्ट्रोल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के कार्य पर लगे हुये अभियन्ताओं को विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(36)/84	प्रकरण अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
37- बलरामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-7 नैनीताल (क्षेत्रफल 6.08 एकड़ अनुमानित लागत रु० 27.43 लाख)	चतुर्थ/(37)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
38- राजपुर रोड योजना सं०-3 (ढाकं पट्टी) देहरादून ।	चतुर्थ/(38)/84	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जो भवन 28 के पूर्व अथवा बाद में पूर्णरूप से बन गये हैं । और जिनका विवरण नियोजन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित है उन्हें विकास व्यय लेकर योजना के लेआउट में समायोजित कर दिया जाय । शेष भूमि अर्जित कर ली जाये और योजना से विस्थापित हो रहे भू-स्वामियों को यथा संभव उस स्थान पर अन्यथा योजना के भीतर कहीं अन्यत्र आवासीय भूखण्ड विकास शुल्क पर आवंटित कर दिये जायें ।
39- नेहरु नगर योजना सं०-1, देहरादून में छूटी हुयी भूमि पर योजना ।	चतुर्थ/(39)/84	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जो भवन 28 के पूर्व अथवा बाद में बन गये हैं और जिन का विवरण नियोजन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित है उन्हें विकास व्यय लेकर योजना के ले आउट में समायोजित कर दिया जाये । शेष भूमि अर्जित कर ली जाये और योजना से विस्थापित हो रहे भू-स्वामियों को यथा-संभव उस स्थान पर अन्यथा योजना के भीतर कहीं अन्यत्र भूखण्ड विकास शुल्क पर आवंटित कर दिये जाय ।

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
			परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
40-	राजपुर रोड योजना सं0-2 (जाखन)देहरादून(क्षेत्रफल 51·09 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 124·14 लाख)	चतुर्थ/(40)/84	यह भी निर्णय लिया गया कि योजना क्षेत्र के नक्शे में 2 ए भाग में दर्शित निर्मित हो गये 12 भवन व उनके बीच की खुली भूमि जो योजना के लिए लाभदायक नहीं है अर्जित न की जाय इन मकानों में के मालिकों से परिषद की योजना से दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर विकास व्यय वसूल किया जाये ।
41-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 अमरोहा (क्षेत्रफल 52·48 एकड़)अनुमानित लागत रु0 लाख)	चतुर्थ/(41)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
42-	परिषद के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वर्गीकरण का पुनरीक्षित वेतनमान को लागू किये जाने की तिथि या उस पर पुनर्विचार का पुनः निर्धारित मास्टर रोल पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्यप्रभारित कर्मचारी घोषित करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(42)/84	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
43-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन एवं भूखण्डों में विदेशी मुद्रा की भांति सुविधा हेतु ।	चतुर्थ/(43)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि आवास एवं विकास परिषद के सदस्यों को भी यह सुविधा दी जाय ।
44-	हुडको वित्त पोषित 12 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(44)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
45-	अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु 2 वर्ष अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर परिकल्पना/ गुण नियन्त्रण)/मुख्यालय के कार्य करने का प्रतिबन्ध ।	चतुर्थ/(45)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
46-	मेरठ हापुड़ एवं मेरठ-दिल्ली मार्गों के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-10 मेरठ(क्षेत्रफल 1015·10 एकड़ एवं अनुमानित लागत 2211·471 लाख)	चतुर्थ/(46)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
47-	माल एवेन्यू योजना के अन्तर्गत प्लाट सं0-511 में प्रस्तावित भवनों में से 50% भवन सुरक्षा अधिकारियों को दिये जाने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(47)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
48-	आवासीय भूखण्डों की नीलामी द्वारा आवंटित किये जाने के संबंध में ।	चतुर्थ/(48)/84	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । यह निर्णय लिया गया कि आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु उन्हें योजनाओं में बनाये जाये जहाँ भूमि पर्याप्त हो । यह भी निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों के क्षेत्रफल केवल कार्नर का होने के कारण बढ़ जाता है उन्हें नीलामी में शामिल न किया जाये ।

क्र0प0उ0

1	2	3	4
49-	परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर भवनों का आवंटन ।	चतुर्थ/(49)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
50-	वास्तुविद सहायक के चयनित अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	चतुर्थ/(50)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी यह निर्णय लिया गया कि सहायक वास्तुविद पद के लिये चयनित अभ्यर्थी श्री एस0के0गौतम तथा हरीश चन्द्र को भी निर्धारित आयु सीमा से छूट दे दी जाये ।
51-	परिषद कर्मचारियों के कुछ नेताओं द्वारा दिनांक 18-6-84 को दिये गये माँग पत्र के अनुसार 2 माँगों के संबंध में टिप्पणी ।	चतुर्थ/(51)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को सहायक श्रेणी तृतीय के पदों पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है । चिकित्सा भत्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

पुष्टि की गयी

19-10-84

अध्यक्ष